14.08.2025

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त/आवेदक नितिन सिंह परमार सहित अधिवक्ता श्री सौरभ परमार उपस्थित।

पत्रावली केस डायरी प्रस्तुति एवं आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

आवेदक/सुपुर्ददार नितिन सिंह परमार पिता लोकेन्द्र सिंह परमार उम्र– 33 वर्ष निवासी फलैट नं. 10 साहिल अपार्टमेंट अजमानी चिरागशाह बाबा गली गॉधीनगर जिला ललितपुर उ.प्र. की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ परमार को आवेदन अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर सुना गया।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. संक्षिप्त में इस आशय का है कि आवेदक के स्वामित्व का वाहन एम.पी. 15 एम.जेड. 4066 को अपराध क्रमांक 208/2025 में थाना मकरोनिया द्वारा जप्त कर लिया है। आवेदक जप्तशुदा वाहन का पंजीयन स्वामी है, आवेदक का वाहन दैनिक उपयोगी कार्य का है, वाहन के जप्त होने से आवेदक को आवागमन में असुविधा हो रही है। आवेदक उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेने के पश्चात् खुर्द– बुर्द रंग रोगन परिवर्तन नही करेगा। अतः जप्तशुदा वाहन आवेदक को सुपुर्दगी पर प्रदान की जावे।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि थाना मकरोनिया सागर के अपराध कमांक 208/2025 धारा 281, 125(2) बी.एन.एस. एवं 134 एमव्हीएक्ट में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 15 एम. जैड. 4066 को उक्त अपराध में दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्त नितिन सिंह परमार से जप्त की गयी है।

आवेदक के द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड की ऑनलाईन रसीद प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया आवेदक वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। आवेदक के द्वारा बीमा की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें उक्त वाहन का दिनांक 09.02.2024 से दिनांक 08.02.2025 तक बीमा होना दर्शित है, जिससे प्रकट है कि उक्त वाहन घटना दिनांक को बीमित नहीं था। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा वाहन के संबंध में

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्लेम भी नही किया गया है।

आवेदक का पहचान हेतु आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है। आवेदक की पहचान अधिवक्ता द्वारा की गई है। वाहन के अभिरक्षा में बने रहने से उसमें यांत्रिक खराबी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। **न्याय दृष्टांत सुंदरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 638** के आलोक में उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन/ सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा– 503 बी.एन.एस. स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा निम्नलिखित शर्ता के अधीन वाहन मोटरसाईकिल एम.पी. 15 एम.जेड. 4066 को आवेदक नितिन सिंह परमार पिता लोकेन्द्र सिंह परमार उम्र– 33 वर्ष निवासी फलैट नं. 10 साहिल अपार्टमेंट अजमानी चिरागशाह बाबा गली गॉधीनगर जिला ललितपुर उ.प्र. को सुस्पष्ट फोटोग्राफ उपरांत, संलग्न मूल दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावेः–

अतः यदि आवेदक की ओर से **1,00,000/–रूपये (अंकन एक लाख रूपए)** का सुपुर्दनामा एवं **15,000/–(अंकन पंद्रह हजार रूपए)** की जमानत इन शर्तों के साथ प्रस्तुत हो किः–

<u>शर्तेः–</u>

1. आवेदक/सुपुर्ददार प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त वाहन की मूलभूत संरचना मे ऐसा कोई परिवर्तन या परिवर्धन नही करेगा जिससे उसके मूल्य या उपयोगिता मे कमी आये।
2. आवेदक/सुपुर्ददार प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त वाहन को अन्यत्र विक्रय या अंतरित नही करेगा।
3. आवेदक/सुपुर्ददार विचारण के समय आवश्यकता होने पर उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
4. आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन को किसी आपराधिक गतिविधि मे संलिप्त नहीं करेगा।
5. सुपुर्दगी में दिये जाने वाले वाहन की चारों तरफ की फोटो खींचकर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की जावे।
6. आवेदक/सुपुर्ददार को निर्देशित किया जाता है कि वह वाहन का बीमा एक माह के भीतर कराकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगा।
7. आवेदक/सुपुर्ददार को निर्देशित किया जाता है कि वह वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड की छायाप्रति एक माह के भीतर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगा।

केस डायरी संबंधित थाना को वापिस प्रेषित की जावे।

प्रकरण परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर अपलोड कर पत्रावली पूर्ववत अंतिम प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने पर संलग्न की जावे।

(श्रीमती नेहा बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर (म.प्र.)

NEHA BANSAL

Digitally signed by NEHA BANSAL
Date: 2025.08.14 16:18:15 +0530